

NO. C.

(2)

NOC
No. 84

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
बलभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक संख्या 73-84 /2006/20-3,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29-06-2006

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत बिहार, नई दिल्ली।

विषय:-

अशासकीय संस्था - शासकीय संस्था - शासकीय संस्था -
भगवान् रोड चिलोड़ उच्चाल - को सी. बी. एस. ई./अपूर्णी
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत।

राज्य शासन द्वारा अशासकीय संस्था -

शासकीय संस्था - शासकीय संस्था -
एस. ई., नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर
दिया जाता है:-

१. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सके इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म. प्र. माध्यमिक शिक्षण मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जायें। विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक सर्व खेलकूद का यक्षम तथा अन्य छात्र शिक्षकों की गतिविधियों ने अतिये खेल का मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकता-उसार उपलब्ध करायें। इस हेतु संस्था से वचन पत्र जल्दी जायें।

२. इन संस्थाओं के संचालन में आनंदामूलता की रखायी जाए ताकि वे पर विभाग द्वारा प्राप्ति अधिकारी को स्थानान्तरण/ जांच करने का अधिकार होगा।

निरंतर ०० २ पर

4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी म.प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रवृत्ति स्वं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का व्यवन्वय-पत्र संस्था से प्राप्त किया जायेगा ।

5. संस्था की प्रवृत्ति का विवरणी समिति में म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा ।

6. प्रदेश के खेत आयोजनों, साँस्कृतिक आयोजनों, किंवा भेला का आयोजन आदि में सहायोग स्वं सार्थक भूमिका प्रदान करेगा ।

7. अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवृत्ति संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेगे । शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा ।

8. उंत्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तके स्वेच्छालय जाम्यी खुली बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी । किसी दुकान विशेष से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी ।

9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्रिम शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था रखेगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शिक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को छरना होगा ।

10. संस्कार के छात्रों को उनके विवास के विवास तक तक कर्तव्यवस्था निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त स्वेच्छा वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा । छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू रस्ता, पौधी, आदि से संचालित नहीं किया जायेगा ।

11. निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प का व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध भाई गई तो संस्था का अनापन्ति प्रमाण-पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
12. संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्राज्यिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जाएगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिरौपित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

आर.आर.आहरवारू

अवर सचिव

पृष्ठांकन क्रमांक एक 73- 84 /2006/20-3, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
प्रतिलिपि:- भोपाल, दिनांक 29-06-2006

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-
उच्चेत.
3. प्राचार्य, अशासकाय शिक्षण संस्था-
कादम्बी उच्चार्थत स्कैंडलो, इन्डियन
नमूद, आगर रोड, उच्चेत.
4. नमूद, आगर रोड, उच्चेत.
आडर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजित।

अवर सचिव
म.प्र. शासन, 29-06-2006